



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई - मेरठ

Project Implementation Unit, Meerut

ए-1, वैष्णो धाम, निकट गायत्री हाईट्स, कंकरखेड़ा, एन.एच.-58, मेरठ-250001

A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankerkheda, NH-58, Meerut-250001

टेलीफोन/Telephone: 0121-2631228 ई-मेल/e-mail: meerut@nhai.org



NHAI/PIU-MRT/66012/2022/D- 26122

Date: 05.12.2022

To,

Divisional Forest Officer,  
Social Forestry Division,  
Muzaffarnagar.

Sub: - Forest Land Diversion proposal for "Improvement and Up-gradation to 4-lane configuration of Meerut-Najibabad section of NH-119 between Km 39+165 to Km 78+635 in the state of Uttar Pradesh". -reg.

Ref:

1. Letter to DFO, Mzn. for submission of Forest proposal dated 13.10.2022
2. Your office letter no.1449/14-1 (FP/UP Road 43253/2019-FC) dated, Muzaffarnagar 03.11.2022.
3. This office letter no.25961 dated 17.11.2022. (Copy enclosed)
4. RO-West, UP letter no.18464 dated 23.11.2022 addressed to Nodal Officer/APCCF.
5. RO-West, UP letter no.18506 dated 28.11.2022 addressed to Nodal Officer/APCCF.

Sir,

With reference to your office letter dated 03.11.2022, seeking directions from the Nodal Officer (Forest)/APCCF regarding submission of fresh Forest proposal in lieu of revised proposal, your kind attention is brought towards this office letter dated 17.11.2022 and Regional Officer letter dated 23.11.2022 wherein detailed chronology of events has been apprised for necessitating the requirement of the instant proposal.

2. In addition, your kind attention is brought towards following forest proposals where the originally submitted proposals have been modified and approved by the Forest department without necessitating requirement of submission of fresh proposals (Reference no.5)

2.1 Forest proposal No. 45282/2020 (Ganeshpur – Saharanpur Road): The alignment of this proposal was shifted by 800 m from the originally proposed alignment on the recommendations of the forest department. Alignment of this project was modified for more than 4 times further for want of inclusion of forest check-post, Lay view and view point. However, the DFO, Shivalik, Saharanpur and Conservator of Forest, Saharanpur never requested for submission of fresh proposal and the revised proposal by complying the observations was processed and based on the recommendations of concerned, the Stage – I & II forest clearances have been issued by the MoEF&CC, Lucknow.

2.2 Forest proposal No. 30178/2017 (Meerut – Najibabad section of NH – 119 from km 11+500 to 39+250 & from km 79+500 to 105+700): Joint verification was carried out for km 26+600 to km 39+500, as the section was not notified as protected forest in the forest gazette notification, after approval from the Nodal Officer. Accordingly, revised proposal was submitted and approved subsequently, based on the recommendations of concerned for stage – I & II.

3. In the instant proposal it may be noted that any modification/ rectification to the original proposal submitted by NHAI is necessitated/ carried out in order to comply with the observations/

EDS raised by the forest authorities and in accordance with the recommendations/ suggestions of the studies carried out by the WII, Dehradun (the study was carried out on the specific request of PCCF (Wildlife) dated 08.09.2021).

In view of the above, it is again requested to process the already submitted forest proposal (Parivesh proposal no. FP/UP/ROAD/43253/2019).

**Encl. As above.**

  
(Santosh Kumar Bajpai)  
Project Director

**Copy to:-**

- 1. Regional Officer, UP-West, Lucknow – for information.**
- 2. APCCF/Nodal Officer, Lucknow – for information & further necessary action.**
- 3. Principal Chief Forest Conservator – Lucknow – for information & further necessary action.**
- 4. Conservator of Forest, Saharanpur – for information & further necessary action.**





भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**National Highways Authority of India**  
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई - मेरठ  
Project Implementation Unit, Meerut  
ए-1, वैष्णो धाम, निकट गायत्री हाईवे, कंकरखेड़ा, एन.एच.-58, मेरठ-250001  
A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kanarkhera, NH-58, Meerut-250001  
टेलीफोन/Telephono: 0121-2631228 ई-मेल/e-mail: meerut@nhai.org



NHAI/PIU-MRT/2022/66012/D- 25705

Date: 13.10.2022

To  
The Divisional Forest Officer  
Social Forest Division  
Meerut Road, Muzaffarnagar  
Uttar Pradesh

**Subject:** विषय: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा मेरठ नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत किमी0 चैनेज 48.400 से किमी0 67.180 तक 27.7437 हे० संरक्षित वनभूमि एवं जनपद विजनीर के अन्तर्गत किमी0 चैनेज 67 180 से 79.330 तक 11.1077 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 38.8514 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद विजनीर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल 12162 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बंध में।  
(Online Proposal no.- FP/UP / ROAD / 43253/ 2019).

Reference: -

- (i) EDS issued from office of Divisional Forest office- Muzaffarnagar, vide letter no: - 4406/14-1 (PIU/UP/Road/43253/2019-FC) Dated- 19/05/2022.  
(ii) EDS issued from RO office, Lucknow of MoEFCC vide letter no.- 8B/UP/06/265/2021/FC/17 dated 11/04/2022.

Sir

Please refer to the above captioned subject and aforementioned references.  
The compliance of your EDS issued vide above referred letter is detailed in annexure -I and the revised proposal as per the recommendation of WII Study Report is submitted to your office for necessary action.  
This is for your kind information and onward necessary action please.

Thanking you.

DA/ Annexure-I and 05 Copies of Forest Proposal  
in original.

(Santosh Kumar Bajpai)  
Project Director

14/10



# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर ।

पत्रांक- 1449 / 14-1 (FP/UP/Road/ 43253/2019-FC) दिनांक, मुजफ्फरनगर, 03.11.2022 ।  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**विषय-** जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 48.400 से कि0मी0 67.180 तक 27.7437 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 67.180 से 79.330 तक 11.1077 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल-38.8514 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल-12162 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के संबंध में।

**संदर्भ-** परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ पत्रांक-भा0 रा0 रा0प्रा0/प0कि0ई0-मेरठ/2022/66012/डी0-25705 दिनांक-13.10.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1351/14-1 दिनांक-22.10.2022 एवं परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ का पत्रांक-डी0-25787 दिनांक-28.10.2022

**महोदय**

विषयक क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 48.400 से कि0मी0 67.180 तक 27.7437 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कि0मी0 चैनैज 67.180 से 79.330 तक 11.1077 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल-38.8514 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल-12162 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति का संशोधित प्रस्ताव परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ के संदर्भित दिनांक-13.10.2022 द्वारा 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है, उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, जिसमें तथ्य प्रकाश में आये कि भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की रिपोर्ट के क्रम में गंगा बैराज पर पूर्व प्रस्तावित मार्ग को ले-आऊट/सरेखण (Alignment) (नोडल अधिकारी से अनुमोदित) का परिवर्तन किया गया है तथा प्रस्तावित क्षेत्रफल को यथावत् रखा गया है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक-22.10.2022 द्वारा विषयक परियोजना में सरेखण (Alignment) परिवर्तित होने के कारण नवीन प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु परियोजना निदेशक भा0रा0रा0मार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0 मेरठ को लिखा गया है । परियोजना निदेशक भा0रा0रा0मार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0 मेरठ द्वारा इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक-13.10.2022 के क्रम में अपना संदर्भित पत्र दिनांक-28.10.2022 इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भी है के द्वारा (पत्र की छाया प्रति संलग्न) अवगत कराया गया कि विषयक परियोजना में नवीन प्रस्ताव /वर्तमान प्रस्ताव को नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ से अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में दिशा निर्देश देने प्रदान करने की कृपा करें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रतत्तर कार्यवाही की जा सके।

मनवीर

(कन्हैया पटेल)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर

संख्या 1449 / 14-1 (FP/UP/Road/ 43253/2019-FC) दिनांकित ।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सहारनपुर वृत्त सहारनपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर





# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

**National Highways Authority of India**

(Ministry of Road Transport & Highways Government of India)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई - मेरठ

Project Implementation Unit, Meerut

ए-1, वैष्णो धाम, निकट गायत्री हाईट्स, कंकरखेड़ा, एन.एच.-58, मेरठ-250001

A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankerkheda, NH-58, Meerut-250001

टेलीफोन/Telephone 0121-2531228 ई-मेल/e-mail meerut@nhai.org



NHAI/PIU-MRT/66014/2022/D- 2596 I

17<sup>th</sup> November 2022

To,

The NODAL Officer (Forest)/APCCF

Office of the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF),

17, Rana Pratap Marg, Lucknow, (UP.) 226001

**Subject: Forest Land Diversion proposal for "Improvement and Up-gradation to 4-lane configuration of Meerut-Nazibabad section of NH-119 between Km 39+165 to Km 78+635 in the state of Uttar Pradesh".**

Ref:

- DFO letter 76/14-1 (FP/UP/ROAD/43253/2019-FC) dated 07.07.2021 to PD, Meerut, NHAI.
- Director, WII letter to PD, Meerut, NHAI, dated 25.08.2021.
- PCCF Wild Life letter no.2870/26-11 (FP/UP/ROAD/43253/2019) dated 08.09.2021 to Director, WII.
- Director, WII letter to PD, Meerut, NHAI, dated 15.04.2022 (Final report by WII).
- Director, WII letter to PD, Meerut, NHAI, dated 26.06.2022 (Approval of alignment).
- DFO letter 22/14-1 (FP/UP/ROAD/43253/2019) dated 01.07.2022 to PD, Meerut NHAI (Approval of alignment and resubmission of Forest Proposal).
- This office letter no.25706 dated 13.10.2022 to DFO, Muzaffarnagar (Submission of hard copies).
- DFO letter 1351/14-1 (FP/UP/ROAD/43253/2019) dated 22.10.2022 to PD, Meerut, NHAI (Regarding submission of new proposal).
- DFO letter 1449/14-1 (FP/UP/ROAD/43253/2019) dated 03.11.2022 to APCCF/Nodal Officer, Forest Department, Government of UP.
- APCCF(IT) letter no.235/12-42-2 dated 11.11.2022 to DFO, Mirzapur (Regarding providing balance CA land)

Sir,

This is with reference to the DFO, Muzaffarnagar letter dated 03.11.2022, vide which it has been brought into your kind notice that fresh proposal has been requested from NHAI (vide DFO letter dated 22.10.2022) in lieu of revised proposal for subject project citing that the alignment of the project has been changed. Accordingly, DFO Muzaffarnagar has requested further guidance from your good office, in order to do further needful.

2. In this regard, following is being submitted for kind consideration:

- Forest proposal (FP/UP/ROAD/43253/2019) was submitted by NHAI on 08.12.2019. After compliance of several EDS, Nodal Officer (Forest), Lucknow accorded approval on 04.12.2020 for onward processing of the proposal and accordingly proposal was submitted to the concerned Divisional Forest Offices on 03.02.2021.
- Subsequently (i.e. after processing of forest land diversion proposal from office of DFO, CF, NODAL and the State), the proposal was forwarded to RO, MoEFCC Lucknow, wherein EDS dated 27.12.2021 & 11.04.2022 (mainly related with insufficient/inappropriate CA land as per DSS analysis done by RO, MoEFCC) were raised. It is pertinent to mention here that APCCF(IT) vide letter dated 11.11.2022 has provided results of DSS Analysis to DFO Mirzapur, against the EDS dated 11.04.2022 raised by RO, MoEFCC regarding balance CA

1/3

land for the Forest proposal. Accordingly, it may also be noted that the forest proposal is in advance stage.

- (c) It is further submitted that wildlife proposal (FP/UP/ROAD/43253/2019) was submitted by NHAI on 30.11.2020. The wildlife proposal was approved by the Wildlife Warden on 22.12.2020.
- (d) Subsequently, DFO, Muzaffarnagar vide letter dated 07.07.2021 requested NHAI for submission of impact assessment report in respect of the natural habitat of the aquatic animals. In order to comply with the observations (communicated vide letter dated 07.07.2021), NHAI (vide letter dated 30.07.2021) requested the Wildlife Institute of India (WII), Dehradun for providing Bio-diversity Impact Assessment and Wildlife Study for incorporating the suggestions/ recommendations in the project proposal.
- (e) In response the WII vide letter dated 28.08.2021, informed that *"As a policy, the institute does not take up work directly from any corporation, WII takes up the work request received directly from the central/ State Government."* In addition, the WII requested to process the request through the Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife), Govt. Of Uttar Pradesh.
- (f) Accordingly, PCCF (Wildlife) vide letter dated 08.09.2021 requested WII, Dehradun for conducting the requisite studies as requested by the NHAI (vide letter dated 30.07.2021).
- (g) WII vide letter dated 15.04.2022 submitted detailed report in respect of the "mitigation measures for improvement and up - gradation to 4 lane configuration of Meerut - Najibabad section of NH - 119 passing through Hastinapur Wildlife Sanctuary, Uttar Pradesh". After incorporating the recommendations of the WII, the realignment plan outside the Haiderpur Wetland (from km 62+000 to km 66+000) was submitted to the WII.
- (h) WII vide letter dated 22.06.2022 confirmed that the modified alignment (from km 62+000 to km 66+000) is as per the suggestions of the WII.
- (i) DFO, Muzaffarnagar vide letter dated 01.07.2022 requested NHAI for submitting the rectified proposals for forest and wildlife clearance by incorporating the recommendations of WII (dated 15.04.2022 & 22.06.2022).
- (j) It is further submitted that NHAI has already submitted rectified forest proposal as requested by the DFO Muzaffarnagar (vide letter dated 01.07.2022) and in compliance to the observations communicated vide DFO Muzaffarnagar vide letter dated 07.07.2021, by enclosing the detailed report of the WII and duly incorporating the recommendations of the WII.

3. In view of the above, it may be noted that any modification/ rectification to the original proposal submitted by the NHAI has been carried out in order to comply with the observations/ EDS raised by the concerned Forest Authorities and in accordance with the recommendations/ suggestions of the studies carried out by the WII, Dehradun (the study was carried out on the specific request of PCCF (Wildlife) dated 08.09.2021).



4. In view of the above, it is requested to kindly direct DFO, Muzaffarnagar for processing the pending Forest and Wild life clearance proposals (Parivesh proposal nos. FP/UP/ROAD/43253/2019), for further approval/ clearance.

Encl: As above.

(Santosh Kumar Bajpai)  
Project Director

**Copy to:**

1. Regional Officer, UP (west), Lucknow.- for information & further necessary action.
2. Conservator of Forest, Saharanpur -with request to issue guidance/ directions to DFO, Muzaffarnagar for processing the pending Forest and Wild life clearance proposals (Parivesh proposal nos. FP/UP/ROAD/43253/2019).
3. DFO, Muzaffarnagar - for information & further necessary action.



सत्यमेव जयते

# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

क्षेत्रीय कार्यालय-पश्चिम उ०प्र०, लखनऊ Regional Office - West UP, Lucknow.

3/248, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

3/248, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

दूरभाष / Phone : 0522-4960291, टेलीफैक्स / Fax : 0522-4950680

ई-मेल / E-mail : rowestup@nhai.org, rowestup@gmail.com



19001/1/RO-W-UP/Forest/ 18464

दिनांक 23.11.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

उ०प्र० वन विभाग

17, राणा प्रताप मार्ग,

लखनऊ।

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन०एच०-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कि०मी० चैनेज 48.400 से कि०मी० 67.180 तक 27.7437 हे० संरक्षित वन भूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कि०मी० चैनेज 67.180 से 79.330 तक 11.1077 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 38.8514 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर नागिनगी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल 12162 वृक्षों के पातन / ट्रान्स प्लांट की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: 1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 1351/14-1 दिनांक 22.10.2022.

2. परियोजना निदेशक-मेरठ, भा०रा०रा०प्रा० का पत्रांक डी-25961 दिनांक 17.11.2022.

महोदय,

कृपया उक्त विषयक प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के क्रम में भा०रा०रा०प्रा० द्वारा रि-एलाइगमेंट किया गया है तथा प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्रफल यथावत है। इस संबंध में उनके द्वारा आपसे मार्गदर्शन प्रदान करने की आपेक्षा की गयी है।

2. आप अवगत है कि उक्त प्रकरण में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के द्वारा वाइल्ड लाइफ स्टडी हेतु भा०रा०रा०प्रा० से निवेदन किया गया था तदनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के निवेदन पर उक्त वाइल्ड लाइफ स्टडी, वाइल्ड लाइफ इन्सिड्यूट देहरादून द्वारा की गयी, जिसके क्रम में उक्त मार्ग के एलाइगमेंट को सिफ्ट किया गया है।

आप अवगत है कि यह प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा विगत काफी समय से स्टेज-1 की क्लियरेंस हेतु लम्बित है। इसी क्रम में परियोजना निदेशक-मेरठ, भा०रा०रा०प्रा० द्वारा भी आपसे उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से शीघ्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को यथाआवश्यक निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संकेतित)  
(एम० के० जैन)

क्षेत्रीय अधिकारी-(पश्चिमी), उ०प्र०

प्रतिलिपि:-प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हौफ, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।





सत्यमेव जयते

# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

क्षेत्रीय कार्यालय-पश्चिम उ०प्र०, लखनऊ Regional Office - West UP, Lucknow.

3/248, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)

3/248, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (UP)

दूरभाष / Phone : 0522-4960291, टेलीफैक्स / Fax : 0522-4950680

ई-मेल / E-mail : rowestup@nhai.org, rowestup@gmail.com



19001/1/RO-W-UP/Forest/ 18506

दिनांक 28.11.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

उ०प्र० वन विभाग

17, राणा प्रताप मार्ग,

लखनऊ।

**विषय:** जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन०एच०-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कि०मी० चैनेज 48.400 से कि०मी० 67.180 तक 27.7437 हे० संरक्षित वन भूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कि०मी० चैनेज 67.180 से 79.330 तक 11.1077 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 38.8514 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल 12162 वृक्षों के पातन/ट्रान्स प्लांट की अनुमति के संबंध में।

- सन्दर्भ:** 1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 1351/14-1 दिनांक 22.10.2022 व पत्रांक 1449/14-1 दिनांक 03.11.2022  
2. परियोजना निदेशक-मेरठ, भा०रा०रा०प्रा० का पत्रांक डी-25961 दिनांक 17.11.2022.  
3. इस कार्यालय का पत्रांक 18464 दिनांक 23.11.2022

महोदय,

कृपया उक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें, इस प्रकरण में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा उल्लिखित भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुपालन में भा०रा०रा०प्रा० द्वारा रि-एलाइनमेंट करने तथा प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्रफल यथावत होने के फलस्वरूप प्रेषित पुनर्क्षित प्रस्ताव पर उनके द्वारा आपसे मार्गदर्शन प्रदान करने की आपेक्षा की गयी है।

2. यहाँ पर आपके संज्ञान में लाना यह भी समीचीन होगा कि आपके स्तर से अनुमोदन के उपरान्त भी विभिन्न प्रकरणों में एलाइनमेंट शिफ्ट किया गया है व इसके फलस्वरूप पूर्व में कभी भी प्रस्ताव नये सिरे से संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा प्रेषित करने की अपेक्षा नहीं की गयी है किन्तु रि-एलाइनमेंट के पश्चात पुनर्क्षित प्रस्ताव संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी को प्रेषित किया गया है। तत्संबंधी प्रस्ताव उदाहरण स्वरूप निम्न प्रकार उल्लिखित है:-

अ- वन प्रस्ताव संख्या 45282/2020 गणेशपुर-देहरादून रोड : इस मार्ग का एलाइनमेंट वाइल्ड लाइफ इन्सिड्यूट देहरादून द्वारा की गयी वाइल्ड लाइफ स्टडी के फलस्वरूप वन संरक्षक सहारनपुर श्री वी०के० जैन एवं श्री एन०के० जानू, कमिश्नर सहारनपुर के निर्देश पर एलाइनमेंट मूल एलाइनमेंट से 800 मी० दहिनी तरफ में मोहन विलेज के पास शिफ्ट किया गया है। पुनः एलाइनमेंट फॉरेस्ट चेकपोस्ट, ले-वे एवं व्यू पॉइंट सम्मिलित करने के कारण 4 बार से अधिक एलाइनमेंट परिवर्तित किया गया है किन्तु कभी भी

सिकेश Page 1 of 2


डी0एफ0ओ0 शिवालिक, सहारनपुर एवं संबंधित वन संरक्षक, सहारनपुर द्वारा नये सिरे से प्रस्ताव प्रेषित करने की आपेक्षा नहीं की गयी है बल्कि रि-एलाइनमेंट के फलस्वरूप पुनर्क्षित प्रस्ताव, एन0एच0ए0आई0 द्वारा डी0एफ0ओ0 शिवालिक को प्रेषित किया गया है व तदनुसार इसका फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज-1 व स्टेज-2 आपकी संस्तुति के आधार पर MoEF&CC, Lucknow द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ब- इसी प्रकार वन प्रस्ताव संख्या 30178/2017 मेरठ-नजीबाबाद, एन0एच0-119 में नोडल अधिकारी द्वारा कि0मी0 11.500 से 39.250 एवं 79.500 से 105.700 प्रस्ताव अनुमोदन के पश्चात वन विभाग के साथ संयुक्त सत्यापन में कि0मी0 26.600 से 39.500 फॉरेस्ट गजट नोटिफिकेशन में संरक्षित वन घोषित न होने के कारण इस प्रकरण में भी पुनर्क्षित प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 को भेजा गया है एवं तदनुसार फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज-1 एवं स्टेज-2 आपकी संस्तुति के आधार पर MoEF&CC, Lucknow द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उक्त दोनो प्रकरण से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट इस पत्र के साथ इस निवेदन से प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से शीघ्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को यथा आवश्यक/उपरोक्तानुसार निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

**संलग्नक**—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(एम0 के0 जैन)

क्षेत्रीय अधिकारी—(पश्चिमी), उ0प्र0

**प्रतिलिपि:—**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हौफ, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
3. प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
4. परियोजना निदेशक—मेरठ, भा0रा0रा0प्रा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।